

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:- विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 56/2023

दायर दिनांक 19.03.2023

वादी

1. रामुराम पुत्र मांगुराम जाति मेघवाल निवासी दयालपुरा तहसील डीडवाना जिला डीडवाना-कुचामन राज0।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. उमाराम पुत्र भोलूराम
2. नन्दकिशोर पुत्र भोलूराम
3. सुखदेवाराम पुत्र भोलूराम जाति रेगर निवासीगण तोषीणा तहसील छोटी खाटू जिला डीडवाना-कुचामन राज0
4. सुल्तान पुत्र मुन्शी जाति सरगड़ा निवासी लाडनूं तहसील लाडनूं जिला डीडवाना-कुचामन राज
5. हरीराम पुत्र मोहनराम जाति खटीक
6. तेजाराम पुत्र मोहनराम जाति नायक
7. जगदीश पुत्र मोहनराम जाति नायक निवासीगण जुसरी तहसील मकराना जिला डीडवाना-कुचामन राज0
8. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक, तोषीणा
9. तहसीलदार छोटी खाटू।

दावा बाबत्

बंटवाड़ा, घोषणा खातेदारी, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा- 53, 88, 188 R.T.Act.

उपस्थित:-

श्री मो0 शरीफ शैरानी वकील वादी

-:: अंतिम निर्णय ::-

दिनांक 09.12.2024

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि यह है वाकै सरहद तोषीणा पटवार हल्का तोषीणा भू0अभि0नि0 क्षेत्र तोषीणा तहसील छोटी खाटू में खेत खसरा सं0 503 रकबा 3.7200 हैक्टे0 व खसरा सं0 504 रकबा 3.2700 हैक्टे0 की भूमि में वादी व प्रतिवादीगण सं0 01 ता 07 के मध्य बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन प्रस्तावित करने बाबत् दिनांक 16.10.2024 को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार छोटी खाटू को निर्देश दिया गया।

तहसीलदार छोटी खाटू ने अपने पत्रांक: 1125 दिनांक 20.11.2024 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। तहसीलदार छोटी खाटू द्वारा प्रस्तावित बन्टवारा पर बहस पक्षकारान् सुनी गयी जिसमें पक्षकारान् बन्टवारा प्रस्तावानुसार विभाजन करवाने हेतु सहमत हैं। बन्टवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार छोटी खाटू सक्षम प्राधिकारी है। अतः तहसीलदार छोटी खाटू के द्वारा प्रस्तावित विभाजन जरिये पत्रांक: 1125 दिनांक 20.11.2024 को स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि :-

-:: आदेश ::-

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाकै सरहद तोषीणा पटवार हल्का तोषीणा भू0अभि0नि0 क्षेत्र तोषीणा तहसील छोटी खाटू में खेत खसरा सं0 503 रकबा 3.7200 हैक्टे0 व खसरा सं0 504 रकबा 3.2700 हैक्टे0 भूमि का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य घोषणा खातेदारी व बन्टवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार छोटी खाटू से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 1125 दिनांक 20.11.2024 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता विभाजन करने के आदेश दिए जाते हैं।

तहसीलदार छोटी खाटू का विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 1125 दिनांक 20.11.2024 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो। बैंक का ऋण यथावत रहेगा।

Wkas
(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 09.12.2024 को सरे इजलास में सुनाया गया।

Wkas
(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना



डिक्री बमुकद्दमें इब्लदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत:- उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना
बइजलास : विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 56/2023

दायर दिनाँक 19.03.2023

वादी
1. रामुराम पुत्र मांगुराम जाति
मेघवाल निवासी दयालपुरा
तहसील डीडवाना जिला
डीडवाना-कुचामन राज0।

बनाम्

प्रतिवादीगण
1. उमाराम पुत्र भोलूराम
2. नन्दकिशोर पुत्र भोलूराम
3. सुखदेवाराम पुत्र भोलूराम जाति रेगर
निवासीगण तोषीणा तहसील छोटी खाटू
जिला डीडवाना-कुचामन राज0
4. सुल्तान पुत्र मुन्शी जाति सरगड़ा निवासी
लाडनूं तहसील लाडनूं जिला
डीडवाना-कुचामन राज
5. हरीराम पुत्र मोहनराम जाति खटीक
6. तैजाराम पुत्र मोहनराम जाति नायक
7. जगदीश पुत्र मोहनराम जाति नायक
निवासीगण जुसरी तहसील मकराना जिला
डीडवाना-कुचामन राज0
8. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक, तोषीणा
9. तहसीलदार छोटी खाटू।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा, रेकॉर्ड दुरुस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा-53, 88, 188 R.T.Act.

दिनाँक 09.12.2024

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री मो0 शरीफ
शैरानी वकील वादी की तरफ से मददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्व दावा डिक्री सादिर कर,
वाकै सरहद तोषीणा पटवार हल्का तोषीणा भू0अभि0नि0 क्षेत्र तोषीणा तहसील छोटी खाटू में खेत खसरा सं0
503 रकबा 3.7200 हैक्टे0 व खसरा सं0 504 रकबा 3.2700 हैक्टे0 भूमि का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य
घोषणा खातेदारी व बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार छोटी खाटू से प्राप्त
विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 1125 दिनाँक 20.11.2024 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र
खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता विभाजन करने के आदेश दिए जाते हैं।
तहसीलदार छोटी खाटू का विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 1125 दिनाँक 20.11.2024 निर्णय एवं डिक्री का
अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त हो। डिक्री जारी हो। बैंक का ऋण यथावत रहेगा।

नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....-.....खर्चा इस मुकद्दमें के
मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज
की तारीख 09.12.2024 को सरे इजलास में जारी की गयी।

WAS
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

	रुपया	पैसे	मुदायलह	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	-	-	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक		
मिजान			मिजान		

नोट:-इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

ikas
उपस्थान अधिकारी
डी.डवाना
डी.डवाना